

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह वांदावत, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 15/2020

प्रार्थीगण -

1. हीराराम पुत्र मीठूराम
जाति भील निवासी गागरिया स्टेशन
तहसील रामसर जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण -

1. सरपंच ग्राम पंचायत गागरिया पं.
स. गागरिया
2. रहमानखां पुत्र हाजी दरियाखां
जाति मुसलमान निवासी हाजी
उमर की ढाणी ग्राम पंचायत अम्भे
का पार तहसील रामसर जिला
बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज
अधिनियम, 1994 विरुद्ध पट्टा संख्या 73 दिनांक 13.03.2013 एवं
सभी मिसल दायर तारीख 27.12.2012 जो दोनों पट्टे अप्रार्थी सं.
2 के नाम ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री अम्बालाल जोशी एवं कुमार कौशल जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी
की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 07.07.2025

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी
सं. 1 ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान
पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत ग्राम गागरिया में ग्राम
पंचायत की आबादी भूमि का आवासीय पट्टा विलेख सं. 73 दिनांक 13.03.
2013 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप पट्टा के संलग्न अनुसूची में
10X25 फीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा इस पट्टा विलेख
को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना



नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत गागरिया का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 में विहित नियम 157(2) के प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं कर नियमों की अनदेखी करते हुए आलौच्य पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत के सरपंच ने अपने पदीय कर्तव्यों से परे अप्रार्थी संख्या 2 को फायदा पहुंचाने के लिये आलौच्य पट्टा नियम विरुद्ध जारी किया गया है। निगरानीकर्ता प्रार्थी गांव गागरिया का एक मूल निवासी हितबद्ध नागरिक है। मौके पर उतरदाता संख्या 2 रहमानखां का कोई कब्जा व मकान नहीं है। फिर भी उतरदाता संख्या 1 ने विवेच्य ये पट्टा दे दिया, जो नियम अनुकूल नहीं हैं। हस्तगत प्रकरण में विवादित पट्टा जो उतरदाता संख्या 2 रहमानखां पुत्र हाजी दरिया के नाम जारी किए गया है, वह नियमानुसार जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आवेदक उतरदाता संख्या 2 ग्राम गागरिया का निवासी भी नहीं है। इतना ही उतरदाता संख्या 2 रहमान के सगे भाई दायम के नाम इसी दिन पट्टा संख्या 66 व 69 जारी किया गया है। एक ही परिवार के सदस्यों को पट्टे जारी करना भी गलत है। समस्त कार्यवाही पोषिदा तरीके से अमल में लाई गई है। राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 नियम 145 से 157 तक के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। नियम 145 के अनुरूप आवेदन नहीं है, आवेदन के साथ पूर्ण विवरण व नक्शा नहीं है। नियम 145(2) के अनुसार स्थल निरीक्षण हेतु निर्धारित शुल्क 25-25 रुपये भी जमा नहीं हुए हैं। नियम 146 स्थल



निरीक्षण कगेटी का विधिपूर्वक गठन नहीं हुआ है। न ही मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया प्रतीत होता है, न ही प्रपत्र पूर्ण है। नियम 148 के तहत जारी नोटिस सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया गया हो, इसका प्रमाणीकरण नहीं है। यहां तक कि पट्टों में अंकित 200-200 रुपये भी रोकड़ बही में जमा नहीं हुए हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है कि अप्रार्थी संख्या 2 को निजी लाभ पहुंचाने के आशय से अप्रार्थी संख्या 1 ने आलौच्य पट्टा विधिविरुद्ध जारी किया है जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आलौच्य पट्टा खारिज फरमाया जावे।

4. अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता कथन हैं कि आलौच्य पट्टा नियम 157(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 2 को निजी लाभ पहुंचाने के लिए सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से नियमों के विरुद्ध जारी किया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी तथ्य प्रकट किया है कि पत्रावली में न तो ग्राम पंचायत के प्रस्ताव/संकल्प की संख्या अंकित की गई, न ही कथित रूप से शुल्क की राशि लिखी गई है, न ही शुल्क जमा की तारीख व न ही रसीद संख्या अंकित की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली एवं मौका कब्जा रिपोर्ट का अवलोकन करने से पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी पट्टे ग्राम पंचायत गागरिया में पीडब्ल्यूडी के खसरा संख्या 165/94 रकबा 0.13 बीघा में जारी किए गए हैं। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त भूखण्ड का जो पट्टा जारी करवाया गया, उस भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 का पूर्व में कोई स्वामित्व नहीं था। नियम 148 के अंतर्गत आबादी भूमि प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आक्षेप आमंत्रित करने के नोटिस में पूर्ण विवरण नहीं दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा पुराने कब्जे के नियमितीकरण हेतु विहित प्रावधानों एवं प्रक्रिया का पालन किये बिना एवं स्वामित्व व आधिपत्य की जांच किए बिना उक्त आलौच्य पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में स्वामित्व के इस बिन्दु पर पूर्णतया अवैधता एवं अनियमितता



बरती गई हैं, लिहाजा धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित अनियमितता एवं अवैधता के बिन्दु पर आलौच्य पट्टा जारी करने की कार्यवाही एवं उसके अनुक्रम में जारी किया गया पट्टा निरस्त योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा बैठक दिनांक 13.03.2013 के संकल्प सं. शुन्य तहत लिये गये निर्णय एवं उसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 73 दिनांक 13.03.2013 को अपास्त किया जाता है।
7. निर्णय आज दिनांक 07.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेन्द्र सिंह कलक्टर
अति. जिला कलक्टर,
बाड़मेर)